रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2015/आषाढ़ 12, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 57
No. 84] DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2015/ASHADHA 12, 1937 [N.C.T.D. No. 57

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जुलाई, 2015

सं. 425/नियम/ डी.एच.सी.—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 18 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीशगण "दिल्ली लघु अपराध (विशेष महानगर दंडाधिकारियों द्वारा विचारण) नियम, 1998" में एतद्वारा निम्न संशोधन करते हैं :—

संशोधन

I. वर्तमान नियम 2(3)(क)(i) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा :—

"2(3)(क)(i) : संहिता की धारा 320, सारणी I व II, दंड संहिता की धारा 324, 325, 379, 335, 344, 354, 357, 381, 406, 407, 408, 411, 414, 418, 420, 429, 430, 451 तथा 494 के अंतर्गत अपराधों को छोड़कर।"

II. वर्तमान नियम 2(3)(क)(ii) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा :—

"2(3)(क)(ii) : भारतीय दंड संहिता की धारा 160 व 336।"

III. वर्तमान नियम 3 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा :—

"3. अर्हता : कोई व्यक्ति विशेष महानगर दंडाधिकारी के रूप में नियुक्ति के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह विधि स्नातक न हो तथा

(1) ज़िला दंडाधिकारी या न्यायिक अधिकारी रह चुका हो; या

(2) कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए उप-मंडलीय दंडाधिकारी की शक्तियां प्रयोग कर चुका हो; या

(3) कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रयोग कर चुका हो; या

(4) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की या इसके अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना में समूह 'क' के पद पर रहा हो; या

(5) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग में समूह 'क' के पद पर रहा हो (उन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी जो विधिक कार्यों से जुड़े रहे हों अथवा विधिक कार्यों से जुड़े विभाग में कार्य कर चुके हों); तथा

(6) उसे विशेष महानगर दंडाधिकारी की शक्ति प्रदान करने की तिथि तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका हो।

स्पष्टीकरण :-

इन नियमों के प्रयोजन हेतु 'विधि स्नातक' वह व्यक्ति है जो अधिवक्ता के रूप में नाम दर्ज कराने योग्य है।"

IV. वर्तमान नियम 8(2) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा :-

"8(2) प्रत्येक विशेष महानगर दंडाधिकारी को न्यायालय के कार्यों से स्वयं को परिचित कराने के लिए सत्र न्यायाधीश/मुख्य महानगर दंडाधिकारी द्वारा 15 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा परन्तु उच्च न्यायालय ऐसे किसी विशेष महानगर दंडाधिकारी को इस प्रशिक्षण से छूट दे सकता है।"

नोट : यह संशोधन इनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार,

विनोद गोयल, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI
NOTIFICATION

Delhi, the 3rd July, 2015

No. 425/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of Section 18 of Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Judges of the High Court of Delhi hereby makes the following amendments in "Delhi Petty Offences (Trial by Special Metropolitan Magistrates) Rules, 1998" :—

AMENDMENTS

I. The following shall be substituted for the existing Rule 2(3)(a)(i) :-
"2(3)(a)(i) : Section 320, Tables I and II, of the Code, excluding offences under Section 324, 325, 379, 335, 344, 354, 357, 381, 406, 407, 408, 411, 414, 418, 420, 429, 430, 451 and 494 of the Penal Code."

II. The following shall be substituted for the existing Rule 2(3)(a)(ii) :-
"2(3)(a)(ii) : Section 160 and 336 of the Indian Penal Code."

III. The following shall be substituted for the existing Rule 3 :-

"3. Qualification :- A person shall not be qualified for appointment as Special Metropolitan Magistrate unless he/she is a law graduate and

(1) has been a District Magistrate or a Judicial Officer; or

(2) has for a period of not less than one year exercised the powers of Sub-Divisional Magistrate; or

(3) has for a period of not less than two years exercised the powers of an Executive Magistrate; or

(4) has held for a period of not less than five years a Group 'A' post on the Establishment of the High Court of Delhi or that of the Courts Subordinate thereto; or

(5) has held, for a period of not less than five years, a Group 'A' post under the department of the Government of NCT of Delhi or the Central Government or State Government (Preference will be given to those persons who have been dealing with legal affairs or have been working in the department dealing with legal affairs); and

(6) has not attained the age of 65 years on the date of conferment of power of Special Metropolitan Magistrate on him/her.

Explanation :

For the purpose of these rules a "law graduate" is a person who is eligible to be enrolled as an advocate."

IV. The following shall be substituted for the existing Rule 8(2) :-
"8(2) Every Special Metropolitan Magistrate shall be imparted 15 day's training to familiarize himself with the working of Courts by the Sessions Judge/Chief Metropolitan Magistrate provided that the High Court may exempt any such Special Metropolitan Magistrate from training."

Note: These amendments shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

By Order of the Court,
VINOD GOEL, Registrar General

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य विछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जुलाई, 2015

सं.एफ. 28(19)/2012–13/डी.एस.सी.एस.टी./पी. एण्ड एस./3490.–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सहर्ष दिल्ली अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वित्तीय एवं विकास निगम लि. के निर्देशक मण्डल का तत्कालिक प्रभाव से पुनर्गठन करते हैं:–

1	श्री संदीप कुमार माननीय मंत्री (अनुसूचित जाति/जनजाति)	चैयरमेन
2	प्रधान सचिव/सचिव (दिल्ली अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार	निदेशक
3	प्रबन्ध निदेशक, डी. एस. एफ. डी. सी.	निदेशक
4	निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार)	निदेशक
5	उप–सचिव अथवा प्रतिनिधि (एस. सी. टी. एण्ड डी. आर. टी.) आर्थिक मामलों का विभाग बैंकिग खण्ड भारत सरकार	निदेशक
6	विशेष सचिव (वित्तीय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार	निदेशक
7	एन. बी. सी. एफ. डी. सी. के प्रतिनिधि	निदेशक
8	एन. एम. डी. एफ. सी. के प्रतिनिधि	निदेशक
9	एन. एच. एफ. डी. सी. के प्रतिनिधि	निदेशक
गैर–सरकारी निदेशक		
10	श्री रुपेश मेहरा वाल्मिकी	निदेशक (प्रतिनिधि–अनुसूचित जाति)
11	श्री अशोक कुमार	निदेशक (प्रतिनिधि–अनुसूचित जाति)
12	श्री शकील मलिक	निदेशक (प्रतिनिधि–अल्पसंख्यक)
13	श्री संजीव तँवर	निदेशक (प्रतिनिधि–अन्य पिछड़ा वर्ग)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,
के. पी. रंगारी, उप–निदेशक (एस. सी. पी.)

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd July, 2015

F.No. 28(19)/2012-13/DSCST/P&S/3490.—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to reconstitute the Board of Directors of the Delhi SC/ST/OBC/Minorities Financial & Development Corporation Limited as follows with immediate effect:—

1.	Shri Sandeep Kumar Hon'ble Minister (Welfare of SC/ST)	Chairman
2.	Pr. Secretary/Secretary (SC/ST/OBC/MIN)	Director
3.	Managing Director, DSFDC	Director
4.	Director, M/O Social Justice & Empowerment, Govt. of India,	Director
5.	Dy. Secretary or Representative (SCT & DRT), Department of Economic Affairs, Banking Division, Govt. of India.	Director
6.	Special Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi	Director
7.	Representative of NBCFDC	Director
8.	Representative of NMDFC	Director
9.	Representative of NHFDC	Director

NON-OFFICIAL DIRECTORS

10.	Sh. Rupesh Mehra Valmiki	Director (Representative of SC)
11.	Sh. Ashok Kumar	Director (Representative of SC)
12.	Sh. Shakeel Malik	Director (Representative of Minorities)
13.	Sh. Sanjeev Tanwar	Director (Representative of OBC)

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

K. P. RANGARI, Dy. Director (SCP)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.